

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

विधान चन्द्र चौधरी भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

श्री महेन्द्र राम,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, डालटनगंज।

राँची, दिनांक:- 13/09/2026

विषय:- स्पष्टीकरण समर्पित करने के सम्बंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है Social Media एवं You Tube Channel पर प्रसारित खबरों में Medinirai Medical College & Hospital (Sadar), Palamu में 03 Modular OT प्रति युनिट 70,41,250/- कुल राशि रू0 2,11,23,750/- के निर्माण हेतु Offline Tender निकाले जाने एवं निविदा में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित है।

विभागीय कार्यालय आदेश सं.-2163 दिनांक-19.11.2020 के अनुसार 50 लाख रुपये से उपर की सभी निविदाएँ e-procurement प्रणाली अन्तर्गत निष्पादित करने का आदेश निर्गत है।

यह योजना भवन निर्माण विभाग से स्वीकृत या संबंधित नहीं है। जिला स्तर पर आपको इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य एजेंसी बनाया गया है। आपकी सेवा भवन निर्माण विभाग के अधीन है एवं आपको विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, डालटनगंज के रूप में पदस्थापित किया गया है। अतः भवन निर्माण विभाग के सभी नियम अप्रत्यक्ष रूप से जिला स्तर पर भी स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में लागू होंगे। इसके बावजूद आपके द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश सं.-2163 दिनांक-19.11.2020 की अनदेखी करते हुए इस योजना की निविदा आमंत्रित की गयी। आपका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। आपके इस कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि 48 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय?

विश्वासभाजन

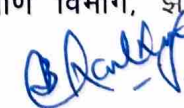
 13/09/2026

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक- भ0-6-आरोप-19/26.....1530

दिनांक- 13/09/2026

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 13/09/2026

सरकार के विशेष सचिव।